

12/18

पदावली आज केंद्र कोर्ट जोधपुरा में प्रेश
ड्रॉई। उक्त स संबंधित वाड पत्र का निस्तारण
दे चुका है। अर्चना पत्र अस्थाई निवेद्याला
का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः अर्चना
पत्र अस्थाई निवेद्याला का खारीज किया
जाता है। पदावली फॉल्लो शुमार देकर नंबर
सि कर हो तथा वास्तविक दफतर है।

उपस्थित
उदयपुरवादी